रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India.

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 118] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 17, 1972/चैत्र 28, 1894

No. 118] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 17, 1972/CHAITRA 28, 1894

27 APR 1972

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th April 1972

G.S.R. 248(E).—The Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Department of Agriculture) Notification GSR 494, issued on the 1st April, 1971, under No. 3-28/70-Lands, in exercise of the powers conferred by Section 70 of the Assam Re-organization (Meghalaya) Act, 1969 (55 of 1969), is hereby cancelled.

[No. F. 3-28/70-Lands.]

B. B. VOHRA, Jt. Secy.

कृषि मंत्रालय

(कृषि विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 1972

सा० का० नि० 248(अ).—आसाम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम, 1969 (1969 का 55) की धारा 70 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 अप्रैल 1971 को

सं० 3-28/70-लैण्डस के अधीन जारी की गई खाद्य कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय (कृषि विभाग) की अधिसूचना सा० का० नि० 494 एतद्द्वारा रद्द की जाती है ।

[सं० एफ० 3-28/70-लैण्डस]

बी० बी० बोहरा, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972